

इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, रवैरागढ़ (छ.ग.)

पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना के लिए आवेदन-पत्र

1. आवेदक का नाम :
2. आवेदक का पूरा पता :
3. फोन/मोबाइल नं.
4. परीक्षा का नाम :वर्ष
5. अनुक्रमांक (रोल नंबर) :नामांकन/पंजीयन क्रमांक.....
6. परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि :
7. रसीद/डी.डी. क्रमांक :दिनांककुल राशि

क्रमांक	विषय, जिसका पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना कराना है	प्रश्नपत्र	कुल प्राप्तांक		अन्य
			कुल अंक	प्राप्तांक	
1.					
2.					

अध्यादेश क्रमांक 18 में वर्णित शर्तों को मैं मान्य करता हूँ।

आवेदक का हस्ताक्षर एवं दिनांक

इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, रवैरागढ़ (छ.ग.)

पावती

श्री/कु./श्रीमतीकक्षाका
रोल नंबररसीद/डीडी क्रमांकदिनांकको प्राप्त हुआ।

प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर

पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना के लिए निर्देश

(अध्यादेश क्रमांक 18 के प्रावधान के अनुसार)

(का.का.स.27/2/2001 की कंडिका-27 एवं शिक्षा समिति दिनांक 28/2/2004 का.का.स.29/2/2004 में पारित)

1. विश्वविद्यालय की परीक्षा में सम्मिलित हुए छात्र/छात्राएँ अपनी किसी भी लिखित परीक्षा के विषयों में प्राप्त किये गये अंकों की पुनर्गणना और उत्तर पुस्तिका के पुनर्मूल्यांकन हेतु आवेदन-पत्र प्रभारी (परीक्षा) को प्रस्तुत कर सकते हैं।
2. परीक्षार्थी अधिकतम दो प्रश्नपत्रों के पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना हेतु आवेदन कर सकता है।
3. आवेदन-पत्र विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा परिणाम घोषित होने के 40 दिनों के अंदर अथवा विश्वविद्यालय द्वारा अंकसूची भेजे जाने के 30 दिनों के अंदर (उन दोनों में जो भी पहले हो) प्रस्तुत किया जा सकता है। इस तिथि के बाद आवेदन-पत्र खीकार नहीं किये जावेंगे।
4. पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना हेतु मूल अंकसूची जमा करना आवश्यक है। अन्यथा इसके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं की जावेगी।
5. पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना के अंक में परिवर्तन होने या न होने पर शुल्क वापस नहीं किया जावेगा।
6. प्रायोगिक परीक्षा, सेशनल कार्य, वार्षिक कार्य एवं शोध प्रबन्ध के पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना हेतु कोई प्रावधान नहीं है।
7. पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना का जो भी परिणाम होगा, उससे छात्र को अवगत कराया जायेगा।
8. पुनर्गणना हेतु जिन परीक्षाओं के एक विषय की परीक्षा में दो प्रश्नपत्र नहीं है, उनमें एक प्रश्न-पत्र को एक विषय माना जावेगा।
9. पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना के संबंध में छत्तीसगढ़ शासन के नियम मान्य होंगे।
10. पुनर्गणना का परिणाम आवेदन तिथि से दो माह बाद परीक्षार्थी को सूचित किया जावेगा।
11. पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना हेतु शुल्क निम्नानुसार है :-

(J.E.8) छात्रावलिकी विभागीय नियम निर्देश

क्रमांक	पुनर्मूल्यांकन		पुनर्गणना	
1.	एक प्रश्न-पत्र के लिए	<u>Rs. 30/- + 10 = 40</u>	एक विषय के लिए	Rs. 30/- + 10 = 40
2.	दो प्रश्न-पत्र के लिए	<u>Rs. 60/- + 10 = 60</u>	दो विषय के लिए	<u>60</u>